



न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजद्वच मण्डल कम्पनी भै पात रुपयों
PBR/भगवरानी/रायसेन/मुराद/२०१८/४९२२ पुनरीक्षण क्रमांक -----/2017

क्रमांक १४३
आग्रा पुलिस २९.११.१८
बोधायन २८.१८
१८.१८

नफीस छाँ पुत्र अहमद छाँ आयु ३५ वर्ष
जाति मुसलमान निवासी व कृषक ग्राम
मूरेल्हुद तहसील व जिला रायसेन
रुपयों ५०० पुनरीक्षण क्रमांक

विरद्ध

पर्पूसिह पुत्र बदनसिह यादव आयु ४८ वर्ष
निवासी घाँट पिपरिया कृषक ग्राम मूरेल्हुद
तहसील व जिला रायसेन रुपयों ५०० उत्तरदाता

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 रुपयोंमुद्रा संहिता १९५९
माननीय महोदय,

पुनरीक्षण का गौर से निम्न निवेदन है :-

उत्तरदाता द्वारा अपनी स्वयं की कृषि भूमि स्थित ग्राम
मूरेल्हुद छ. क्र. 66/1/1/1, 66/2, 75/1/4 रक्का क्रमांक ०. ६०७,
०. ६०७, ०. ४०५ प. ह. न. ५४ तहसील व जिला रायसेन का सीमांकन
हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल सांघी को एक आवेदन सीमांकन हेतु
दिनांक १८-५-१८ को दिया गया जिसके संबंध में राजस्व निरीक्षक
व हल्का पटखारी द्वारा सीमांकन करने हेतु सूचना पत्र जारी किया
गया उक्त सूचना पत्र में पुनरीक्षण का कहाँ नाम उल्लेख नहीं किया
गया तथा उक्त सूचना पत्र में यह भी उल्लेख नहीं किया गया कि
मैड पड़ोसी किस तारीख को कितने बजे सीमांकन के दौरान उचकी
उपस्थिति में सीमांकन किया जायेगा। पिछे भी सीमांकन वाला -
वाला दिनांक २८-५-२०१८ को किया गया जिससे द्विखित होकर यह
पुनरीक्षण आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR / निगरानी / रायसेन / भू.रा. / 2017 / 4922
स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

27-12-2017

आवेदक सूचना उपरान्त भी अनुपस्थित। तीन बार आवाज लगवाई गई, किन्तु आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


अध्यक्ष